अध्याय–1

प्रस्तावना

1.1 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की पृष्ठ भूमि ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत सरकार द्वारा आम जनता को लोक प्रधिकरणों के स्वरूप व कार्यों की सूचना सुलभ कराने की दृष्टि से एवं शासकीय कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया है, जिसके तहत स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग द्वारा यह हस्त पुस्तिका विभाग के अधीन संचालित विभागाध्यक्ष कार्यालयों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं के स्वरूप तथा उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की सूचनाओं को प्राप्त करने की सुविधा व शक्ति की सूचना प्रदान करने की दृष्टि से जारी की गई है । इस पुस्तक में दी गई जानकारी द्वारा एवं सूचना के अधिकार का प्रयोग कर हम स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग के अधीनस्थ संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छ.ग. तथा उसके अधीनस्थ संचालित आयुर्वेद यूनानी व होम्योपैथी पद्धति की संस्थाओं के स्वरूप एवं गतिविधियों के संबंध में जान सकते हैं ।

1.2 हस्तपुस्तिका के उद्देश्य–

सार्वजनिक मामलों में सम्पूर्ण पारदर्षिता बरतने के लिये भारतीय संविधान के उपबंधों के अंतर्गत जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जनता की अकांक्षा के अनुरूप शासन द्वारा संचालित नीतियों/कार्यक्रमों को प्रत्येक नागरिक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से यह हस्त पुस्तिका लोक हित में जारी की गई है ।

1.3 यह पुस्तिका किन व्यक्तियों, संस्थानों/संगठनों इत्यादि के लिये उपयोगी है ।

यह पुस्तिका स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग/ संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) / आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा पद्धतियों को महाविद्यालय, चिकित्सालय, औषधालय, फार्मेसी/ आयुर्वेद तथा यूनानी पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड/राज्य होम्योपैथी परिषद के अधिकारी, कर्मचारी एवं आम जनता के उपयोगार्थ है ।

1.4 विभागीय जानकारी का प्रारूप–

1– आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा पद्धतियों की शिक्षा व प्रशिक्षण ।

2– आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सालयों (अंतरंग रोगी सुविधायुक्त) की स्वास्थ्य सेवा ।

3– चिकित्सालयों एवं औषधालयों में बाह्यरोगी सेवा ।

4– आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति की शासकीय औषधि निर्माणशाला के कार्य ।

5– आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में चिकित्सा व्यवसायीयों के पंजीकरण संबंध कार्य ।

6– राज्य होम्योपैथी परिषद में होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवसायियों के पंजीकरण संबंधी कार्य।

7– शासकीय तथा निजी क्षेत्र की मान्यता प्राप्त संस्थओं में कम्पाउन्डर, महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण संबंधी कार्य ।

8– संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छ.ग. के स्तर पर अधीनस्थ संस्थाओ से संबंधित ऐसे विषय जिनका संबंध विभागाध्यक्ष कार्यालय से हो, का निराकरण जैसे– नियुक्ति, पदस्थापना, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, सेवा निवृत्ति, पदोन्नति, सामान्य भविष्य निधि, प्रतिनियुक्ति, दण्ड, अभ्यावेदन, सेवानिवृत्त पश्चात् अवकाश नगदीकरण आदि ।

1.5 पुस्तिका में प्रयुक्त शब्दावली की परिभाषायें ।

अध्याय 1 के नियम 2 (अ) में वर्णित शासन से आशय छ.ग. शासन के स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग से है ।

नियम 2 (ब) में वर्णित लोक सूचना अधिकारी से आशय नियम 5 के उपनियम (2) से है ।

नियम 2 (इ) में वर्णित काम्पीटेन्ट अथोरिटी से आशय प्रथम अपीलीय अधिकारी से है।

1.6 पुस्तिका में समायोजित विषयों की विस्तृत जानकारी के लिये सम्पर्क व्यक्ति।

संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छ.ग. का मुख्यालय पुराना नर्सिंग हास्टल, मंत्रालय केम्पस रायपुर दूरभाष कमांक 0771–2221640

1.7 पुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अलावा सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क।

इसकी जानकारी 1.6 में वर्णित अधिकारी से दूरभाष पर सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है ं।

अध्याय–2 मैनुअल– 1
संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

2.1 लोक प्राधिकरण (संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छ.ग.) के उद्देश्य–

आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों की स्वास्थ्य सेवाओं व चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रमों का संचालन व नियंत्रण ।

2.2 लोक प्राधिकरण (संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छ.ग.) का मिशन/विजन –

देश और प्रदेश की जनता की खुशहाली व स्वास्थ्य व चिकित्सा हेतु आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथी योग व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों की सेवाओं को सुलभ बनाना इन सेवाओं के लिए इन पद्धतियों की स्तरपूर्ण चिकित्सा शिक्षा की सुविधाये उपलब्ध कराना ।

2.3 लोक प्राधिकरण (संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छ.ग.) का इतिहास व गठन का प्रसंग –

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की सेवाओं को सुव्यवस्थित संचालन तथा उन्हें बढ़ावा देने की दृष्टि से संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छ.ग.. की स्थापना वर्ष 1 नवम्बर 2000 को स्वाास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत की गई।

2.4 लोक प्राधिकरण (संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छ.ग.) के कर्तव्य –

विभाग की निम्नलिखित संस्थाओं पर प्रशासकीय, वित्तीय, अनुशासनिक नियंत्रण –

1– समस्त शासकीय आयुर्वेद/ यूनानी/ होम्योपैथी महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय ।

2– प्रदेश के 22 जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय एवं 06 शासकीय आयुर्वेद/होम्योपैथी चिकित्सालयों पर नियंत्रण ।

3– आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की स्वास्थ्य सेवाओं प्रदाय ।

4– नवीन आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथी औषधालय, चिकित्सालय खोलने संबंधी कार्यवाही एवं उन्नयन, नियंत्रण ।

5- स्वशासी तथा निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश संबंधी कार्यवाही निरीक्षण उन्नयन एवं नियंत्रण ।

6- शासकीय चिकित्सालयों, औषधालयों तथा स्वशासी महाविद्यालयों, चिकित्सालय हेतु शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी में औषधियों का निर्माण एवं प्रदाय ।

7- छ0ग0 आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड तथा राज्य होम्योपैथी परिषद के समन्वय कर चिकित्सा व्यवसायियों पर नियंत्रण ।

8- शासकीय एवं निजी संगठनों द्वारा भारत सरकार की योजना विकसित करने के संबंध में प्रकरणों का परीक्षण ।

9- जिला आयुर्वेद अधिकारी, उप संचालक शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, प्रधानाचार्य शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के स्वशासी माध्यम से प्रदेश में विभिन्न कार्यो एवं गतिविधियों का प्रशासकीय नियंत्रण तथा पारदर्शिता एवं सूचना के अधिकार का क्रियान्वयन आदि ।

10 ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं अनुसंधान केन्द्र द्वारा औषधियों की गुणवत्ता का परीक्षण कर नए-नए अनुसंधान करना।

2.5 लोक प्राधिकरण (संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छ.ग.) का मुख्य कृत्य :- अध्याय 2.1 व 2.4 के अनुसार ।

आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों की स्वास्थ्य सेवाओं तथा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन ।

2.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण : अध्याय 2.1 व 2.4के अनुसार।

चिकित्सकीय कार्य, शिक्षण/ प्रशिक्षण कार्य/ औषधि निर्माण कार्य/अनुसंधान का कार्य ।

2.7 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों : (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि)पर संगठनात्मक ढांचा संचालक,संयुक्त संचालक, उप संचालक

क्र.	संस्था का नाम	संख्या	कार्यालय प्रमुख
1	मुख्य कार्यालय (राज्य स्तर पर) संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) /औषधि नियंत्रक, (आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी,) छ.ग.	01	संचालक

2	प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, रायपुर	01	प्राचार्य
3	प्राचार्य एवं अधीक्षक, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बिलासपुर	01	प्राचार्य एवं अधीक्षक
4	अधीक्षक शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर	01	अधीक्षक (पदेन)
5	नियंत्रक, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं अनुसंधान केन्द्र, रायपुर	01	नियंत्रक,
6	उपसंचालक शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी रायपुर	01	उपसंचालक
7	जिला स्तर पर जिला आयुर्वेद अधिकारी समस्त	22	जिला आयुर्वेद अधिकारी
8	राज्य स्तर पर छ.ग. आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर एवं छ.ग. राज्य होम्योपैथी परिषद रायपुर	01	रजिस्ट्रार

संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छ.ग. का मुख्यालय पुराना नर्सिंग हास्टल, मंत्रालय केम्पस रायपुर मे स्थित है तथा इसके अंतर्गत 02 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर , 01 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर , 01 ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं अनुसंधान केन्द्र रायपुर 01 शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी रायपुर तथा 22 जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय रायपुर, बलौदाबाजार भाटापरा, गरियाबंद महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा कवर्धा, राजनांदगांव, बिलासपुर,,

जांजगीर–चांपा, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा ,कोरिया, जशपुर , जगदलपुर, कांकेर एवं दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर में संचालित हैं।

2.8 लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढ़ाने के लिए जनसहयोग की अपेक्षाएँ :

विभाग से संबंधित समस्त कार्य के संबंध में अपने विचार देकर उसे सुचारू रूप से संचालन हेतु सहयोग देना। आयुश दीप समिति , शिविरों में जनभागीदारी

2.9 जनसहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था

कार्यालय प्रमुख को पत्र लिखकर,, समक्ष में मिलकर सुझाव देना।

2.10 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था

संचालनालय में पदस्थ संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक/अनुज्ञापन प्राधिकारी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, प्राचार्य शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नियंत्रक, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं अनुसंधान केन्द्र, उपसंचालक शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी तथा 22 जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय के माध्यम से निराकरण की व्यवस्था की गयी है ।

2.11 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते –

क्र.	कार्यालय का नाम	पता
1	मुख्य कार्यालय (राज्य स्तर पर) संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) /औषधि नियंत्रक, (आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी,) छ.ग.	पुराना नर्सिंग हास्टल, डी.के.एस.भवन के पीछे, रायपुर 492001
2	प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रायपुर	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर
3	प्राचार्य एवं अधीक्षक, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बिलासपुर	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, बिलासपुर
4	अधीक्षक (पदेन) शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर।
5	नियंत्रक, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं	आयुर्वेद महाविद्यालय परिसर , रायपुर

	अनुसंधान केन्द्र, रायपुर	
6	उपसंचालक शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, रायपुर	शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, रायपुर
जिला स्तर पर		
7	जिला आयुर्वेद अधिकारी, रायपुर	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी रायपुर
8	जिला आयुर्वेद अधिकारी, बलौदाबाजरा भाटापारा	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी बलौदाबाजरा भाटापारा
9	जिला आयुर्वेद अधिकारी, गरियाबंद	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी गरियाबंद
10	जिला आयुर्वेद अधिकारी, दुर्ग	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी दुर्ग
11	जिला आयुर्वेद अधिकारी, बालोद	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी बालोद
12	जिला आयुर्वेद अधिकारी, बेमेतरा	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी बेमेतरा
13	जिला आयुर्वेद अधिकारी, राजनांदगांव	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी राजनांदगांव
14	जिला आयुर्वेद अधिकारी, महासमुंद	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी महासमुंद
15	जिला आयुर्वेद अधिकारी, धमतरी	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी धमतरी
16	जिला आयुर्वेद अधिकारी, कवर्धा	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी कवर्धा
17	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जगदलपुर	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी जगदलपुर
18	जिला आयुर्वेद अधिकारी, दंतेवाड़ा	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी दंतेवाड़ा
19	जिला आयुर्वेद अधिकारी, कांकेर	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी कांकेर
20	जिला आयुर्वेद अधिकारी, बिलासपुर	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी बिलासपुर
21	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जांजगीर चांपा	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी जांजगीर चांपा
22	जिला आयुर्वेद अधिकारी, कोरबा	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी कोरबा
23	जिला आयुर्वेद अधिकारी, रायगढ़,	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी रायगढ़,
24	जिला आयुर्वेद अधिकारी, कोरिया	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी कोरिया
25	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जशपुर	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी जशपुर
26	जिला आयुर्वेद अधिकारी, सरगुजा	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी सरगुजा

27	जिला आयुर्वेद अधिकारी,नारायणपुर	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी नारायणपुर
28	जिला आयुर्वेद अधिकारी, बीजापुर	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी बीजापुर
राज्य स्तर पर		
25	छ.ग. आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर एवं छ.ग. राज्य होम्योपैथी परिषद, रायपुर	रजिस्ट्रार कार्यालय आयुर्वेद महाविद्यालय परिसर, रायपुर

2.12 कार्यालय के खुलने का समय

सुबह 10:30 से सायं 5:30 बजे तक

महाविद्यालय के खुलने का समय

सुबह 10:30 से सायं 5:30 बजे तक

महाविद्यालय/चिकित्सालय के खुलने का समय

24 घण्टे

30 शैय्या चिकित्सालय के खुलने का समय

24 घण्टे

औषधालय के खुलने का समय

सुबह 8:00 से 1:00 बजे तक, सायं 5:00 से 6:00 बजे तक गर्मी के दिनों में/सायं 4:00 से 5:00 बजे तक अन्य दिनों में

अध्याय 3 (मैनुअल–2)

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

पद का नाम – संचालक, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छ.ग.		
शक्तियॉ	प्रशासकीय	1. अनुशासनात्मक, द्वितीय श्रेणी तक के शासकीय सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही के अधिकार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पूर्ण अधिकार ।

		2. नवीन शैक्षणिक संस्थाओं का खोलना – संस्थाओं का निरीक्षण एवं अनुशंसा 3. शासकीय सेवकों की नियुक्ति के अधिकार तथा उनके अवकाश, निलंबन, बहाली, पेंशन के पूर्ण अधिकार 4. विभाग के अधीनस्थ समस्त संस्थाओं के निरीक्षण के सम्पूर्ण अधिकार 5. स्वीकृत पदों पर अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्तियॉ सेवा भर्ती नियमों के अन्तर्गत की जाना । 6. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छ0ग0 के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों का प्रशासनिक नियंत्रण रखना। 7. संचालनालय के अधिकारी और कर्मचारियों को शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार वेतन और भत्तों का भुगतान करना।
	वित्तीय	1. केन्द्रीय सहायता अनुदान प्रकरणों पर अनुशंसा 2. औषधि क्रय सम्पूर्ण अधिकार 3. उपकरण में 1,50.00 तक के अधिकार 4. वेतन भत्ते के सम्पूर्ण अधिकार 5. संचालक की वित्तीय शक्तियॉ वह है जो शासन के नियमों के अंतर्गत उनको प्रदान की गयी है ।
	अन्य	1- स्वशासी शिक्षण संस्थाओं में सदस्य प्रतिनिधि 2- शहरी क्षेत्रों में भवन किराया सम्पूर्ण अधिकार
कर्तव्य		1. अधीनस्थ औषधालयों, चिकित्सालयों एवं महाविद्यालयों प्रशिक्षण केन्द्रों डी.टी. एल., ड्रग कन्ट्रोलर कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ संस्थाओं जैसे– जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण

		2. क्रमांक–1 में वर्णित संस्थाओं का वित्तीय/ बजट नियंत्रण

अध्याय–4 (मैनुअल–3)
निर्णय लेने की प्रक्रिया

4.1 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये लोक प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? (सचिवालय मैनुअल और बिजनेस मैनुअल के नियमों आदि नियमों का उपयोग किया जा सकता है)

संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छ.ग. के कार्य संचालन शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप किया जाता है।

1. कार्यालयीन प्रक्रिया
2. एकल नस्ति प्रक्रिया

4.2 किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित नियम और प्रक्रिया क्या है ? अथवा निर्णय लेने के लिये किस–किस स्तरों पर विचार किया जाता है ?

कंडिका 9.1 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है। छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित नियम/ अधिनियम/ कार्यालयीन प्रक्रिया एवं एकल नस्ती प्रक्रिया अनुसार/ निर्णय अधिकारी स्तर पर

4.3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुॅचाने की क्या व्यवस्था है ?

कार्यालय के सूचना पटल/ डाक द्वारा एवं इंटरनेट के जरिये निर्णय को ज्ञात किया जा सकता है।

4.4 विभिन्न स्तरों पर किन–किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है ?

1. संयुक्त संचालक संचालक, उप संचालक/अनुज्ञापन प्राधिकारी (आयुर्वेद सिद्ध एवं यूनानी) वित्त अधिकारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी
2. प्रधानाचार्य, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय
3. अधीक्षक महाविद्यालय चिकित्सालय
4. उप संचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी
5. नियंत्रक ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं अनुसंधान केन्द्र

6. जिला आयुर्वेद अधिकारी

4.5 अंतिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकारित अधिकारी

1. विभिन्न स्तर पर कार्याल्य प्रमुख, विभाग प्रमुख तथा शासन

4.6 मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण निर्णय लिया जाता है उसका विवरण निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करें :–

विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	संबंधित विषय
दिशा – निर्देश	शासन निर्देश
निर्णय लेने की प्रकिया	निर्धारित कार्यालयीन प्रकिया
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का नाम	कार्यालय प्रमुख विभाग प्रमुख, शासन
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	संबंधित कार्यालय
निर्णय के विरूद्ध कहां और कैसे अपील करें	शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार

अध्याय–5 मैनुअल– 4

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

5.1 लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने वाले मानक/नियमों का कार्यक्रमवार विवरण उपलब्ध करावें।

क्र.	कार्यक्रम का नाम	विवरण
1.	नवीन आयुर्वेद/ होम्योपैथी/ यूनानी औषधालय खोलना	भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद नई दिल्ली द्वारा न्यूनतम मापदण्ड

2.	चिकित्सा शिक्षा नियंत्रण	छ0ग0 चिकित्सा शिक्षा नियंत्रण अधिनियम–1973 संशोधित 1975
3.	औषधि निमार्ण /नियंत्रण	ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक एक्ट 1940
4.	चिकित्सकों का व्यवसाय हेतु पंजीकरण	1. छ0ग0 आयुर्वेदिक,यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड 2. छ.ग. राज्य होम्योपैथी परिषद व्यवसायी अधिनियम 1974
5.	नियम/ उपनियम	1.छ0ग0 चिकित्सा परिचर्या नियम 2.छ0ग0 संविदा नियम 3.छ0ग0 सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1966 4.छ0ग0 पेंशन नियम 5.छ0ग0 मूलभूत नियम
6.	महाविद्यालयों का स्वशासीकरण	स्वशासी बायलाज (उप नियम)

अध्याय 6 (मैनुअल–5)

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

6.1. लोक प्राधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख की सूची निम्न प्रारूप में प्रस्तुत कराएं। (यह सूचना प्रत्येक अभिलेख के लिए पृथक से प्रस्तुत करें)

अभिलेख का नाम – प्रशासकीय/ वित्तीय / न्यायालयीन/ क्रय अभिलेख

अभिलेख का प्रकार निर्देशिका, अभिलेख, अन्य प्रशासकीय/ वित्तीय /न्यायालयीन/ क्रय अभिलेख

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय

नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख की प्राप्ति कहॉ से कर सकते हैं ?

क्र	नाम कार्यालय–पता	दूरभाष	फैक्स	ई.मेल/ अन्य
1	संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) /औषधि नियंत्रक, (आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी,) छ.ग.	0771–2221640	0771–2221641	cgayush@gmail.com
2	प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रायपुर	0771–2263396	0771–2263396	ayurvidcollege@gmail.com
3	प्राचार्य एवं अधीक्षक शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बिलासपुर	7752–266054	–	
4	नियंत्रक ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं अनुसंधान केन्द्र रायपुर	0771–2262026		
5	उपसंचालक शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी रायपुर	0771–2263437	0771–2263437	
6	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी समस्त	**अध्याय 10 मेनुअल 9 देखें।**		

7	छ.ग. आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर	0771-2263165	0771-2263165	
8	छ.ग. राज्य होम्योपैथी परिषद रायपुर	0771-6452461	-	

नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

शासन द्वारा निर्धारित शुल्क पर

अध्याय-7 (मैनुअल-6)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों (केटेगरी) के अनुसार विवरण

7.1 लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी देने हेतु निम्न प्रारूप का प्रयोग करें, साथ ही यह भी बताएँ कि दस्तावेज कहाँ उपलब्ध रहते हैं जैसे कि सचिव स्तर पर, निदेशालय स्तर पर अन्य (कृपया अन्य का उपयोग करने के स्थान पर स्तर का उल्लेख करें)

क्र. सं.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं पक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रकिया	धारक/ नियंत्रणाधीन
1.	स्थापना शाखा	1. संचालनालय के अधिकारी/कर्मचारी एवं अधिनस्थ कार्यालय के कार्यालय प्रमुख के व्यक्तिगत नस्तियाँ। 2. अवकाश आदि का विवरण। 3. कर्मचारियों का वेतन निर्धारण ।	शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया	विभिन्न स्तरों के कार्यालय प्रमुख

		4. प्लाट, मकान, कार आदि की स्वीकृति ।		
2.	वित्त शाखा	1. भुगतान संबंधी कार्यवाही 2. केश बुक । 3. बैंक संबंधी कार्य। 4. अन्य वित्त से संबंधित कार्य।	शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया	विभिन्न स्तरों के कार्यालय प्रमुख
3.	लेखा शाखा	1. अभिलेख । 2. लेखा से संबंधित कार्य।	शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया	विभिन्न स्तरों के कार्यालय प्रमुख
4.	योजना एवं सांख्यिकीय शाखा	1. विभाग के भवनों, औषधालयों, चिकित्सालयों से संबंधित कार्य एवं रिकार्ड। 2. सेटअप एवं नए पदों का सृजन संबंधित कार्य । 3. वाहन संबंधित रिकार्ड। 4. स्वास्थ्य शिविर से संबंधित कार्य एवं रिकार्ड। 5. प्रदेश के औषधालयों, चिकित्सालयों रोगी संख्या एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम से संबंधित कार्य एवं रिकार्ड।	शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया	विभिन्न स्तरों के कार्यालय प्रमुख
5.	क्रय एवं स्टोर	1. औषधि, मशीन उपकरण, ड्रेसिंग	शासन द्वारा	विभिन्न स्तरों

	शाखा	मटेरियल, से क्रय संबंधित समस्त कार्य। 2. मुद्रण संबंधित। 3. पुस्तक क्रय संबंधित। 4. स्टेशनरी एवं फर्निचर का रखरखाव।	निर्धारित प्रक्रिया	के कार्यालय प्रमुख

अध्याय–9 (मैनुअल–8)

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

9.1 कृपया लोक प्राधिकरण से संबंद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रारूप के आधार पर दें।

- संबद्ध सस्था का नाम एवं पता

1 छ.ग. आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर

2 छ.ग. राज्य होम्योपैथी परिषद रायपुर

3 स्वशासी समिति

संबद्ध संस्था का प्रकार

- संबद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना, वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)

क्र. 1 व 2 बोर्ड/ परिषद कर्तव्य–चिकित्सा का व्यवसायिक पंजीकरण ।

- संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/अन्य)
- स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य

रजिस्ट्रार–

डा. रक्षपाल गुप्ता

छ.ग. आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर

रजिस्ट्रार–

डा. रक्षपाल गुप्ता

छ.ग. राज्य होम्योपैथी परिषद रायपुर

अध्यक्ष –

डा. डी. के. तिवारी,

छ.ग. आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर

कार्यकारी अध्यक्ष – डा. आनन्द गुहा,

छ.ग. राज्य होम्योपैथी परिषद रायपुर

- मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते
- बैठक की आवृत्ति – प्रावधानानुसार
- क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है –जी नहीं ।
- क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ? –जी हां ।
- क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ? अगर हां तो प्रक्रिया का विवरण दें।

सूचना का अधिकार 2005 के तहत

अध्याय–13 (मैनुअल 12)

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

13.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध करावे :–

कार्यक्रम/योजना का नाम

कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा

कार्यक्रम/योजना का उद्देश्य

कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य

लाभार्थी की पात्रता

पूर्वापेक्षाएँ

अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

आवेदन करने के लिये कहां/किससे संपर्क करें

दिये जाने वाले अनुदान सहायता का विवरण

पात्रता निश्चित करने के लिए मानदण्ड

आवेदन शुल्क

आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो उसका उल्लेख करते हुए यह बताये कि आवेदनकर्ता आवेदन करते तो किन बातों का ध्यान रखें।)

संलग्नकों की सूची

संलग्नकों का प्रारूप

प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां संपर्क करें

उपलब्ध धनराशि का विवरण

लाभार्थियों की सूची

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वल्दियत	पात्रता का अधार	निवास			
					जिला	शहर	गांव	मकान नं.

अध्याय–14 मैनुअल–13

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

14.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध करावे :–

कार्यक्रम का नाम – रियायतें

प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्रा अथवा प्रधिकार में से एक चुने)

छात्रों के शिक्षण शुल्क में रियायत

ग्रीन कार्ड धारी शासकीय सेवकों को स्वयं की आयु सीमा में छुट

आरक्षण कोटे के अंतर्गत नियुक्तियां एवं पदोन्नति में छूट

उदेश्य– कर्मचारियों एवं छात्रा संवर्ग को प्रोत्साहन

लक्ष्य (विगत वर्षो में)–

पात्रता– छात्रा / आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार एवं

पात्रता का आधार – सभी वर्गो के शासकीय कर्म0 को दी गई

पूर्वापेक्षाए प्राप्त करने की प्रक्रिया– शासकीय नियमानुसार

रियायत,अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिए निर्धारित

समय सीमा–प्रतिवर्ष

आवेदन शुल्क– निरंक

आवेदन पत्र का प्रारूप– निर्धारित प्रारूप में

संलग्नको की सूची– शासन द्वारा निर्धारित अनुसार

संलग्नको का प्रारूप –शासन द्वारा निर्धारित अनुसार,

प्राप्तिकर्ताओं की सूची (निम्न प्रारूप पर)– आवेदनकर्ताओं के अनुसार

विभाग द्वारा प्रदत्त क0	प्राप्तिकर्ता का नाम	वैधता किस दिनांक तक है	वल्दियात	निवास			
				जिला	शहर	मोहल्ला गांव	म.नं.

रियायत के लिए निम्न जानकारी उपलब्ध करायेंः–

दिये जाने वाले लाभ का विवरण

लाभ के वितरण की प्रक्रिया

शासकीय नियमानुसार

अध्याय–15 मैनुअल–14

इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

15.1 विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें जो कि इलेक्ट्रानिक फारमेंट में हो।

1. केन्द्रीय अनुदान कार्यक्रम
2. विभागीय सांख्यकीय जानकारी
3. विभागीय बजट

अध्याय–16 मैनुअल–15

सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

16.1 सूचनाओं को जनता तक पहुॅचाने के लिये विभाग द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण जैसेः–

- पुस्तकालय
- नाटक/नुक्कड़ नाटक
- अखबारों के द्वारा
- प्रदर्शनी सूचना पटल
- अभिलेखों का निरीक्षण
- दस्तावेजों को प्राप्त करने की व्यवस्था
- उपलब्ध विभागीय मैनुअल
- लोक प्राधिकरण की बेबसाइट
- अन्य प्रचार प्रसार के साधन

अध्याय–17 (मैनुअल–16)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियॉ

17.1 कृपया लोक प्राधिकरण में कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागी अपीलेट अथोरिटी के संबंध में निम्न सूचना प्रस्तुत करें :–

लोक प्राधिकरण का नाम

लोक सूचना अधिकारी का नाम

क्र.	नाम	पद नाम	ज्ञ्क कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	डा. ए. के. कुलश्रेष्ठ	उप संचालक/ अनुज्ञापन प्राधि. (आयु. सिद्ध यू.)	0771	2221642	2214532	2221641		संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छ.ग.

सहायक लोक सूचना अधिकारी

क्र.	नाम	पद नाम	ज्ञ्क कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	डा. कुमार अडवानी	विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी/ ड्रग इंस्पेक्टर (आयु.सिद्ध यूनानी)	0771	2221642		2221641		संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छ.ग.

विभागीय अपीलेट अथोरिटी

क्र.	नाम	पद नाम	ज्क कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	डॉ. जी. एस. बदेशा	संचालक, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्यो. (आयुष)/औषधि नियंत्रक (आयुर्वेद सिद्ध एवं यूनानी) छत्तीसगढ़	0771	2221640 2221641	2263158	2221641	cgayush@gmail.com	संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छ.ग.

अध्याय–18 मैनुअल–17
अन्य उपयोगी जानकारियॉ

18.1 लोक प्राधिकरण (संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छ.ग.) से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर

जन मानस द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न	विभाग का उत्तर
भारतीय चिकित्सा पद्धतियां कौन–कौन सी हैं ?	भारत मे अत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित एवं विकसित चिकित्सा पद्धतियों में "आयुर्वेद" सर्वप्रमुख है, यह सम्पूर्ण भारत में प्रचलित है । आयुर्वेद से ही मिलती –जुलती दक्षिण भारत में प्रचलित चिकित्सा पद्धति का नाम "सिद्ध" है अंशतः आयुर्वेद के ज्ञान पर आधारित एवं अंषतः यूनान में पैदा होने वाली वानस्पतिक औषधियों के समन्वय से

	यूनान में विकसित तथा अत्यंत प्राचीन काल से भारत में प्रचलित "यूनानी" चिकित्सा पद्धति भी भारतीय चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्य की गयी है । इसके अतिरिक्त "प्राकृतिक चिकित्सा" एवं "योग" भी भारतीय चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्य है ।
होम्योपैथी क्या है ? एवं यह कहां विकसित हुई है ?	होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का विकास प्रारंभिक रूप से जर्मनी में हुआ इसके मूल अविष्कारक चिंतक एवं विकासकर्ता जर्मनी के चिकित्सक सर सैम्यूल हेनीमन है , जो कि स्वयं एलोपैथी चिकित्सा पद्धति की उच्च शिक्षा प्राप्त चिकित्सक रहे है । चूंकि सामान्य रूप से एलोपैथी की औषधियां रोग के लक्षणों तथा उत्पादक कारणों के विपरीत लक्षण एवं प्रभाव पैदा करने की क्रिया क्षमता से युक्त होती है अतः इस पद्धति को एलोपैथी या एन्टीपैथी के नाम से जाना जाता रहा है । किन्तु होम्योपैथी का अविष्कार समानता के सिद्धांत पर आधारित रहा है अर्थात मूलरूप मे बडी मात्रा में जो औषधियां जिस प्रकार के लक्षण व प्रभाव पैदा करती है वही औषधियां सूक्ष्मी करण की प्रक्रिया से शक्तिकृत किये जाने के बाद अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में उसी प्रकार के (अर्थात समान) लक्षण व प्रभाव को समाप्त करने की शक्ति रखती है एवं इस प्रकार समानता के सिद्धांत के आधार पर चुनी जाने पर होम्योपैथिक औषधियां शरीर की जीवनी शक्ति को बल प्रदान कर बिना हानि पहुंचाये रोग को दूर करने की सामर्थ्य रखती है इस कारण इस पद्धति को नाम होम्योपैथी रखा गया ।
भारत सरकार के अंतर्गत इन पद्धतियों से संबंधित विभाग का क्या नाम है ?	भारत सरकार के अंतर्गत पूर्व में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत था । अब इस विभाग का नामकरण आयुष विभाग किया गया है। आयुष (AYUSH) विभाग मुख्यतः निम्नलिखित चिकित्सा पद्धतियों की शिक्षा एवं चिकित्सा सेवाओं के विकास, संचालन एवं नियंत्रण का कार्य करता है :-

	(।) आयुर्वेद (2) योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा (3) यूनानी चिकित्सा पद्धति (4) सिद्ध चिकित्सा पद्धति (5) होम्योपैथी
आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के कौन–कौन से पाठ्यक्रम छ.ग. में संचालित हैं ?	आयुर्वेद– बी.ए.एम.एस. (बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी) यूनानी– बी.यू.एम.एस. (बैचलर आफ यूनानी मेडीसिन एण्ड सर्जरी) होम्योपैथी– बी.एच.एम.एस. (बैचलर आफ होम्योपैथी मेडीसिन एण्ड सर्जरी) योग एवं नेचुरोपैथी–बी.एन.वाय.एस. (बैचलर आफ नेचुरोपैथी एण्ड यौगिक साइंस)
क्या छ0ग0 एवं अन्य राज्यों में संचालित पाठ्यक्रम में एकरूपता है अथवा कोई भिन्नता भी है ?	उपरोक्त पाठ्यक्रम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली तथा केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद नई दिल्ली द्वारा संबंधित अधिनियमों से प्राप्त शक्ति के तहत निर्धारित एवं मान्यता प्राप्त है अतः सम्पूर्ण भारत में वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों में एकरूपता है, किसी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं है ।
क्या इन पद्धतियों के डिप्लोमा पाठ्यक्रम अथवा पत्राचार पाठ्यक्रम भी संचालित है ? एवं क्या इन्हें कानूनी रूप से	नही– ऐसे पाठ्यक्रम कई वर्ष पहले संचालित थे, किन्तु चिकित्सा शिक्षा के उन्नयन की दृष्टि से वर्तमान में इन पद्धतियों के किसी भी डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम अथवा पत्राचार पाठ्यक्रम के संचालन अनुमति नहीं है।

मान्यता प्राप्त है ?	
इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश की क्या प्रक्रिया है ?	प्रवेश नियम 2014
मान्यता प्राप्त महाविद्यालय का क्या अर्थ है ?	इन पद्धतियों के महाविद्यालय संचालित करने के लिए राज्य शासन की अनुज्ञा, क्षेत्रीय विश्वविद्यालय की संबद्धता, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद /केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद एवं भारत सरकार की मान्यता अनिवार्य है इनमें से किसी के भी अभाव में महाविद्यालय का संचालन अवैधानिक है।
इन चिकित्सा पद्धतियों के शासकीय अस्पतालों में औषधियों की व्यवस्था कैसे की जाती है ।	प्रदेश में आयुर्वेद औषधियों के निर्माण के लिए शासन की स्वयं की एक आयुर्वेदिक फार्मेसी में उच्च स्तर की गुणवत्ता की आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया जाता है ।

18.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में

आवेदन पत्र (तथा सन्दर्भ के लिए भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति)

शुल्क – निर्धारित अनुसार

सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से मांगी जाये– कुछ टिप्स निर्धारित आवेदन पत्र पर

- सूचना न देने पर अपील करने के संबंध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया – प्रथम अपीलीय अधिकारी– संचालक आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छ.ग.